

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

18/10/24

सेवा में,
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम हमीरगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 1624 में मेरी प्रार्थना का नाम काली पुत्री सुभाष व गुनगुन उर्फ सुजन पिता सुभाष माता लीला जाति हरियाण संदर्भ रिपोर्ट है जो खालत है मेरी प्रार्थना का सही नाम दस्तावेज सुभाष काली उर्फ हरियाण व गुनगुन उर्फ सुजन अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।
दिनांक 30/07/24

सुभाष
रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम हमीरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 1624 में प्रार्थी का नाम काली पुत्री सुभाष व गुनगुन पुत्री सुभाष दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंगन दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम काली उर्फ हरियाण है जो संशोधित किया जाना उचित है।
सुनगुन उर्फ सुजन

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि.

सुभाष
रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

सुभाष
पटवारी

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी सुभाष व भू.अ.नि. सुभाष एवं प्रार्थी द्वारा सलंगन दस्तावेज के आधार पर ग्राम हमीरगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 की खाता संख्या 1624 में प्रार्थी का नाम काली पुत्री सुभाष व गुनगुन उर्फ सुभाष के बजाय काली उर्फ हरियाण व सुनगुन उर्फ सुजन किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।
सुजन

सुभाष
तहसीलदार / नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम हमीरगढ़ जमाबन्दी संवत् 2073-2076 खाता संख्या 1624 में दर्ज प्रार्थी का नाम काली व सुनगुन के स्थान पर काली उर्फ हरियाण व सुनगुन उर्फ सुजन संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।
सुनगुन उर्फ सुजन

सुभाष
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़